मा0 अध्यक्ष जी,

मैं, आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2014–15 का आय–व्ययक प्रस्तुत कर रही हूँ।

गत वर्ष माह जून में आई प्राकृतिक आपदा के सन्दर्भ में, मैं सर्वप्रथम दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना के साथ श्री केदारनाथ में विराजमान देवाधिदेव महादेव का स्तवन करती हूँः–

कैलाशशिखरस्थं च पार्वतीपतिमुत्तमम्।
यथोक्तरूपिणं शम्भुनिर्गुणं गुणरूपिणम।।
वेदेः शास्त्रैयथागीतं विष्णुब्रह्मानुतं सदा।
भक्तवत्सलमानन्दं शिवमावाहयाम्यहम्।।

इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं वर्ष 2013 में राज्य में आयी भीषण दैवीय आपदा से प्रभावित समस्त व्यक्तियों के प्रति संवेदना प्रकट करती हूँ और इस विपदा के समय उन सभी दुखी परिवारों को आश्वस्त करती हूँ कि उनके दुख की इस बेला में राज्य सरकार पूरी शक्ति, सामर्थ्य एवं संसाधनों के साथ उनके साथ खड़ी है और उन्हें आश्वस्त करती हूँ कि सरकार आपदा ग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। जिन व्यक्तियों एवं परिवारों द्वारा अपनी आजीविका एवं आवास खो दिये हैं उनको छत देने एवं उनकी आजीविका को पुनः खड़े करने के लिए

सरकार कटिबद्ध है। उत्तराखण्ड की महान जनता के सहयोग एवं आशीर्वाद से हम एक सशक्त उत्तराखण्ड का निर्माण करेंगे।

God grant me the serenity,
To accept the things I cannot change;
The courage to change the things I can, and
Wisdom to know the difference.

मैं सभी सम्मानित साथियों तथा सेना, वायु सेना, केन्द्रीय पुलिस बलों, एन.डी.आर.एफ., पुलिस व उत्तराखण्ड की महान जनता का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सहयोग से इस शताब्दी की भीषण घटना से निपटा जा सका। आपदा राहत कार्यों को संचालित करने के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्रों की आर्थिकी को पुनः पटरी पर लाने के लिए रुपये छः हजार सात सौ बाईस करोड़ छब्बीस लाख का विशेष आपदा पुनर्स्थापना व पुनर्निर्माण का पैकेज तैयार किया गया जो भारत सरकार से स्वीकृत हो चुका है। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को विशेष धन्यवाद देती हूँ।

मैं इस अवसर पर विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेन्ट बैंक व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा गैर सरकारी संस्थाओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु

अपने अमूल्य संसाधन उपलब्ध कराकर उत्तराखण्ड के भविष्य की एक उज्जवल नींव रखने में हमें असीम सहयोग दिया है।

मैं उत्तराखण्ड के उन सभी वीर सपूतों एवं सुपुत्रियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस आपदा के दौरान बचाव एवं राहत में अपना अपार सहयोग प्रदान किया तथा बचाव एवं राहत के इस असम्भव से दिखने वाले कार्य को सफलता एवं सुगमता से सम्पन्न कराया।

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।

मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस गरिमामयी सदन के समक्ष प्रदेश की तीसरी निर्वाचित सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारा मिशन है कि हम आने वाले अल्पकाल में ही इस प्रदेश के पर्यटन, तीर्थाटन, कृषि, बागवानी एवं अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण घटकों को पुनः अपने पूर्व रूप में खड़ा करेंगे और एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि उत्तराखण्ड की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, वाह्य पूँजी निवेश बेरोकटोक आये और रोजगार सृजन के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हो। यह बजट इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक माध्यम एवं रोड–मैप सिद्ध होगा, यह मैं इस बजट के माध्यम से पूरे प्रदेश को आश्वस्त करती हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा मा0 श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यू0पी0ए0 तथा केन्द्र सरकार के विशेष सहयोग से आपदा से निपटने के लिए एन0डी0आर0एफ0 में रुपये एक हजार दो सौ सात करोड़ सत्तासी लाख की राशि स्वीकृत की गयी एवं केन्द्रांश पोषित योजनाओं तथा बाह्य सहायतित योजनाओं सहित विशेष एस0पी0ए0 के अन्तर्गत राज्य को 2013–14 से 2015–16 की अवधि हेतु रुपये छः हजार सात सौ बाईस करोड़ छब्बीस लाख का विशेष आपदा पैकेज स्वीकृत हुआ है।

आर्थिक एवं राजकोषीय परिवेश तथा वित्तीय प्रबन्धन :

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में हमारे अपने स्वयं के साधनों से कुल आय लगभग ` 9830.72 करोड़ (नौ हजार आठ सौ तीस करोड़ बहत्तर लाख रुपये) अनुमानित है जबकि केन्द्रीय करों में हमारे अंश के रूप में प्राप्त आय हमारे कुल राजस्व का लगभग 16.89 प्रतिशत है। केन्द्र सरकार के योजनागत एवं अन्य प्रकार के अनुदानों से हमें कुल राजस्व का लगभग 42.94 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है। व्यय पक्ष में हमारे कुल व्यय का लगभग 61.53 प्रतिशत आयोजनेत्तर एवं 38.47 प्रतिशत आयोजनागत पक्ष का है। पेंशन एवं ब्याज भुगतान को घटाते हुए हमारे कुल राजस्व व्यय का लगभग 49.91 प्रतिशत व्यय वेतन आदि मदों में होता है जबकि केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुति में इस हेतु 35 प्रतिशत की सीमा का मानक इंगित किया गया है। राज्य सरकार की यह भी

बाध्यता है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व घाटा शून्य एवं राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) के 3.0 प्रतिशत की सीमा अन्तर्गत रखा जाये। वर्ष 2014–15 में राजकोषीय घाटे हेतु यह सीमा लगभग ` 4120 करोड़ (चार हजार एक सौ बीस करोड़ रुपये) निर्धारित है। इसी प्रकार ऋण–संपोषणीयता (Debt Sustainability) भी राजकोषीय प्रबन्धन का महत्वपूर्ण बिन्दु है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए शुद्ध ऋण सीमा लगभग ` 4120 करोड़ (चार हजार एक सौ बीस करोड़ रुपये) अनुमानित है।

इस परिवेश में हमारा आयोजनेत्तर व्यय हमारे वित्तीय संसाधनों के अपेक्षाकृत यद्यपि अधिक है तथापि बचनबद्ध मदों में व्यय नियंत्रण की अपनी सीमाएं हैं। हम सभी पर अपने राजस्व में पर्याप्त वृद्धि तथा व्यय में आवश्यक नियंत्रण करने का उत्तरदायित्व है जिससे विकास परक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।

महोदय मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगी कि बजटीय रणनीति के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत एवं अपूर्ण कार्यों के साथ–साथ नवीन निर्माण कार्यों को भी समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने को सरकार प्रयास कर रही है।

महोदय मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास भी है कि सभी माननीय सदस्यों के अपार अनुभव, बहुमूल्य परामर्श तथा सक्रिय सहयोग से हम भविष्य में आने वाली सभी बाधाओं का सकारात्मक समाधान निकालने में सफल हो पायेंगे तथा उत्तराखण्ड राज्य को विकास के नवीन सोपानों तक ले जा सकेंगे।

वार्षिक योजना :

यद्यपि अभी वित्तीय वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना की स्वीकृति योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त होना लम्बित है तथापि संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक योजना का आकार परिकल्पित कर आय–व्ययक अनुमान लगाये गये हैं। यहाँ यह भी इंगित किया जाना है कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं का पुनर्गठन कर लिए जाने के क्रम में वर्ष 2014–15 से केन्द्र पोषित योजनाएँ भी वार्षिक योजना में सम्मिलित होना सम्भावित है। यह विशेष रूप से इंगित किया जाना है कि वर्ष 2014–15 से जिला योजना हेतु विभागवार, लेखाशीर्षकवार एवं मानक मदवार बजट व्यवस्था करने के स्थान पर एकमुश्त बजट व्यवस्था करने का अभिनव प्रयोग प्रारम्भ किया जा रहा है ताकि जिला योजना समिति द्वारा पारित कार्यवार परिव्यय अनुसार धनावंटन एवं कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब न हो।

मान्यवर,

- आपदा प्रबन्धन/ पुनर्स्थापना पैकेज अन्तर्गत एस0पी0ए0 तथा नई बाह्य सहायतित योजनाओं सहित आपदा प्रबन्धन के लिए ` 1693.48 करोड़ (एक हजार छः सौ तिरानवे करोड़ अड़तालीस लाख रुपये) का प्रावधान किया गया है।
- जिला योजना अन्तर्गत प्राविधानित की जाने वाली धनराशि की विभागवार एवं विस्तृत लेखावार बजट व्यवस्था के स्थान पर जनपदवार एक मुश्त बजट व्यवस्था की जा रही है तथा योजना परिव्यय एवं बजट प्राविधान के अन्तर को समाप्त कर समस्त बजटेड धनराशि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही अवमुक्त किये जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है ताकि विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ सम्पन्न किये जाने हेतु संसाधन एवं समय अवरोधक न हो।
- व्यापारियों को ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध करा दी गयी हैं जिससे वह केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम से सम्बन्धित फार्म ''सी'' को स्वयं विभागीय वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त करके उसकी प्रिन्ट ले रहे हैं इस हेतु उन्हें वाणिज्य कर कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं रह गई है।
- उद्यमियों की मांग पर रियायती दर से कच्चा माल खरीदे जाने सम्बन्धी फार्म–11 की मौद्रिक सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

- होटल व्यवसायियों की सुविधा के लिए सुख–साधन कर सम्बन्धी कर निर्धारण को छमाही के स्थान पर वार्षिक कर दिया गया है।
- पकाये हुए भोजन पर कर की दर को 13.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु उनके द्वारा निर्मित आई0टी0 सम्बन्धी उत्पाद की केन्द्रीय बिक्री पर फार्म ''सी'' के विरुद्ध पूर्ण कर मुक्ति दिनांक 31 मार्च, 2015 अथवा जी0एस0टी0 लागू होने तक, जो भी पहले हो अनुमन्य कर दी गयी है।
- राज्य में अवैध खनन के संगठित अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई का गठन किया गया है। इसी प्रकार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु तथा भूमि सम्बन्धी संगठित अपराधों एवं भूमि की अवैध खरीद–फरोख्त के प्रकरणों पर अंकुश लगाने हेतु विशेष सतर्कता इकाईयों का गठन किया जायेगा।
- राज्य में पूर्व स्वीकृत पॉलिटेक्निकों में आवश्यक पदों का सृजन एवं पाबौ, बांसबगड, तल्लाजौहार, बाड़ेछिना, पोखरी चमोली, बेरीनाग, पिपली डुण्डा, चिनियालीसौड़, चोपता, बड़खेत, रिखड़ीखाल, भीमताल, कोटपौड़ी तथा जोगड़ीसैन में पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना प्रस्तावित है।

- स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा के गाँव बुधाणी (पौड़ी) स्थित पैतृक आवास को संग्रहालय के रूप में विकसित किये जाने एवं इसके संचालनार्थ आवश्यक पदों का सृजन प्रस्तावित है।
- प्रदेश में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है।
- स्टेट डिजास्टर रिसपोन्स फोर्स (एस0डी0आर0एफ0) का गठन किया जा चुका है।
- भतरोंजखान (अल्मोड़ा), गौचर (चमोली), गहड़, खिर्सू (पौड़ी), रुद्रप्रयाग एवं टिहरी में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।
- पर्यटन/ तीर्थाटन से सम्बन्धित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष गतिविधियों तथा टिहरी झील परिक्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के लिए सीड कैपिटल हेतु ` 5 करोड़ धनराशि का प्राविधान किया गया है। आवश्यकतानुसार अन्यान्य क्षेत्रों के समुचित विकास हेतु तद्नुसार ही कार्यवाही की जायेगी।
- राज्य के 60 वर्ष व अधिक आयु के लघु एवं सीमान्त उन्हीं कृषकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जायेगी जो खेत जोत रहे हों।

- अनुसूचित जाति के 9 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- बाबू जगजीवन राम जी के नाम पर ग्राम मक्खनपुर, भगवानपुर (हरिद्वार) में कक्षा 1 से 12 तक के अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आवासीय विद्यालय की स्थापना / पदों का सृजन प्रस्तावित है। इसी प्रकार के अन्य विद्यालय भी प्रत्येक जनपद में स्थापित किये जायेंगे। यह व्यवस्था रखी जायेगी कि पाँच लाख तक की जनसंख्या वाले जनपदों में एक विद्यालय तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले जनपदों में दो विद्यालय स्थापित किये जायेंगे।
- एक अभियान के रूप में रिक्तियों को भरा जायेगा ताकि अधिकाधिक प्रदेशवासियों को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार प्रदान किया जा सके और विकास कार्यों को अपेक्षित गति प्रदान की जा सके।
- प्रदेश में आई भीषण आपदा को न्यूनतम समय में प्रबंधित किये जाने हेतु सम्पूर्ण प्रदेश को 25 सेक्टरों में विभाजित किया जायेगा। वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का समुचित विकेन्द्रीकरण एवं प्रतिनिधायन कर प्रत्येक सेक्टर को वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टि से एक परिपूर्ण इकाई का स्वरूप दिया जायेगा ताकि स्थानीय समस्याओं का स्थानीय

रूप से चिन्हीकरण हो सके और वहीं पर उनका समाधान हो सके।

- सभी सामाजिक कल्याण एवं रोजगार परक योजनाओं के मानकों में यथोचित लचीलापन रखने की व्यवस्था की जायेगी ताकि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को भी अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
- विकलांग व्यक्तियों को जो अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं उन्हें वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना की परिधि के अन्तर्गत लाया जायेगा तथा उनके स्वरोजगार हेतु उद्यमों की स्थापना करने के लिए सब्सिडी की धनराशि इस श्रेणी के उद्यमियों के लिए 50 प्रतिशत तक निर्धारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे इस श्रेणी के उद्यमियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से ` 10 हजार प्रति उद्यमी सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
- पर्वतीय जनपदों में चारा, फलोत्पादन एवं फलोद्योग को प्रोत्साहन दिया जायेगा ताकि चारे की उन्नत प्रजातियाँ यथा भीमल, बॉज, क्वैराल, खड़िक, गेठी आदि प्रजातियों के रोपण तथा पर्वतीय अर्थव्यवस्था आधारित फलों की प्रजातियों से अधिक से अधिक क्षेत्र आच्छादित कर पर्वतीय अर्थव्यस्था को सुदृढ़ किया जा सके। इस निमित्त तीन वर्ष तक चारा एवं फलों के क्षेत्रों को सृजित करने वाले एवं उनकी रक्षा करने

वाले कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी। इस प्रयास से पर्वतीय जनपदों के पशुधन एवं कृषि व्यवस्था के उन्नयीकरण के साथ–साथ पारिस्थिकीय संतुलन भी स्थापित होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था मैदानी जनपदों में फलोत्पादन हेतु की जायेगी। इस वर्ष इस मद में ` 50 करोड़ का प्राविधान किया जायेगा।

- इण्टरमीडिएट, पॉलिटेक्निक तथा आई0टी0आई0 में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को द्वि–भाषीय शब्दकोष तथा नॉलेज बुक प्रदान की जायेगी।
- एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत प्रदेश के जौलजीवी, अल्मोड़ा, चम्पावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, सितारगंज, जसपुर, बाजपुर, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, रूद्रप्रयाग, ऋषिकेश, जोशीमठ, पाण्डुकेश्वर, कर्णप्रयाग एवं गैरसैण में सर्वसुविधा युक्त ट्रामा सेन्टरों की स्थापना की जायेगी ताकि आपदा के साथ–साथ सामान्य समय में भी इन केन्द्रों का समुचित उपयोग किया जा सके।
- भेड़ एवं बकरी पालन हेतु अलग मंत्रालय की स्थापना की जायेगी जिससे कि प्रदेश के एक वृहद भू–भाग के इस पारम्परिक व्यवसाय को पुनर्जीवित कर उनका आर्थिक उन्नयन किया जा सके। इस मद में बकरी पालकों को भूमि, बकरी खरीदने हेतु तथा सीड कैपिटल आदि हेतु कम ब्याज

पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इस मद में ` 5 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।

- ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन हेतु ` 100 करोड़ की लागत से विभिन्न शहरी निकायों के अन्तर्गत योजनाएँ स्थापित की जायेगी जिससे खाद एवं ऊर्जा का अतिरिक्त उत्पादन किया जायेगा तथा पर्यावरण का संरक्षण भी किया जा सकेगा।
- प्रदेश के गढ़वाल एवं कुमाऊँ सम्भाग में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत मेडिकल कालेजों का निर्माण किया जायेगा। गढ़वाल सम्भाग के भगवानपुर, जिला हरिद्वार तथा कुमाऊँ सम्भाग के जनपद पिथौरागढ़ में मेडिकल कालेज की स्थापना की जायेगी। ये मेडिकल कालेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से स्थापित किये जायेंगे।
- पर्वतीय जनपदों में चकबन्दी की कार्यवाही प्राथमिकता पर प्रारम्भ की जायेगी। इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु एक ग्राम का चयन किया जायेगा और रुपये एक करोड़ का वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा।
- वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से प्रत्येक ग्राम में जलाशय, चैक डैम, लघु बाँध (विअर) का निर्माण कर पेयजल तथा पानी को अन्य उपयोगों हेतु संरक्षित किया जायेगा। यह योजना वन क्षेत्रों एवं गैर वन क्षेत्रों में समान रूप से लागू की जायेगी और इसके लिए ` 150 करोड़ की व्यवस्था की जायेगी। ये

कार्यक्रम समेकित जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम, मनरेगा, आईफैड आदि कार्यक्रमों के माध्यम से सम्पन्न होंगे।

- बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का विस्तारीकरण कर इस योजना के अन्तर्गत समाज के निर्धन एवं संसाधनहीन व्यक्तियों के आर्थिक उन्नयन हेतु भी कार्य किये जायेंगे।
- प्रदेश के पारम्परिक मेलों एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा। उत्तराखण्ड के 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के भ्रमण हेतु निःशुल्क यात्राएँ सम्पन्न करायी जायेंगी।
- कुम्भ की भाँति कलियर शरीफ में भी अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतु एक विशेष कार्य योजना बनाई जायेगी ताकि विश्व प्रसिद्ध कलियर शरीफ की गरिमा के अनुरूप ही इसका स्वरूप भी बनाया जा सके।
- कलियर शरीफ में ऊर्दू एवं फारसी अकादमी तथा देहरादून में पंजाबी अकादमी का निर्माण किया जायेगा।
- संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकाण्ड की शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाया जायेगा ताकि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्कृति के स्वरूप से उत्तराखण्ड में आने वाले देश एवं विदेशों के नागरिकों को भी लाभान्वित किया जा सके।
- प्रदेश के राज्य शिल्पियों, काष्ठ शिल्पियों, माटी–शिल्पियों एवं वृद्ध पुरोहितों, ग्रन्थियों, मौलवियों एवं पादरियों हेतु विशेष

पेंशन योजना संचालित की जायेगी। इस योजना का विस्तृत स्वरूप माननीय सदन के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायेगा।

- चकराता, जौनसार, जौहार, चौदास, दारमा व्यास क्षेत्रों के जनजातियों तथा थारू एवं बुक्सा जनजातियों की सांस्कृतिक विधाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हिमालयन संग्रहालय में पृथक व्यवस्था की जायेगी। इसका नाम स्व0 श्री गुलाब सिंह जी के नाम से रखा जायेगा।
- पर्वतीय क्षेत्रों में फलों आदि की खेती को बढ़ावा देने तथा फल उद्योगों के विकास तथा विपणन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक संयुक्त उपक्रम की स्थापना की जायेगी। इस सम्बन्ध में आबकारी एवं औद्योगिक तथा लघु उद्योग नीति में समुचित परिवर्तन किया जायेगा।
- नदियाँ अपने उद्‌गम के दिनों से ही हमारी संस्कृति, समृद्धि एवं आर्थिक गतिविधियों के वाहक एवं केन्द्र रही हैं। मुख्य नदियों एवं उप नदियों की घाटियों में स्टेट हाईवेज के तर्ज पर सड़कों का निर्माण किया जायेगा।
- बागों एवं खेतों को जंगली जानवरों के नुकसान से बचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा मनरेगा, आर0के0वी0वाई0 तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत विशेष संसाधन जुटाये जायेंगे तथा ऐसी ग्राम सभाएँ एवं वन पंचायतें जो इस निमित्त आगे आयेंगे उन्हें पूर्ण सहायता दी जायेगी।

- क्लस्टर आधारित कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य योजना बनाई जायेगी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में पृथक–पृथक क्लस्टर बनाकर उत्पादन एवं विपणन के लिए आर0के0वी0वाई0 आदि विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं के माध्यम से धनराशि एवं अन्य समस्त व्यवस्था की जायेगी।
- विभिन्न प्रकार के बीजू फलों को कलमी फलों के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए राज्य में चार मदर नर्सरी एवं प्रत्येक जनपद में एक सामान्य नर्सरी बनाई जायेगी तथा इन नर्सरियों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु आवश्यक बजट सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
- प्रदेश के आपदा प्रभावित गन्ना किसानों को दी गयी अनुग्रह सहायता के अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराई जायेगी।
- उत्तराखण्ड के कई क्षेत्रों के निवासी प्रोटीन की कमी तथा अन्य आवश्यक खनिजों की कमियों के कारण कुपोषण आदि के शिकार रहते हैं। इस समस्या के निदान हेतु प्रत्येक जनपद के सर्वाधिक कुपोषण वाले एक ब्लाक को चिकित्सा विभाग द्वारा चिन्हित किया जायेगा। राशन की दुकानों से ऐसे क्षेत्रों को प्रति राशन कार्ड 2 किलो नमक तथा एक किलो सामान्य दाल एवं एक किलो पर्वतीय दाल निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

निःशब्द मैदान में लेटी हुई है जो नदी,
पत्थरों से, ओट में जा–जाके बतियाती तो है।
दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर,
और कुछ हो या न हो, आकाश–सी छाती तो है।

बैंकिंग सेवाएँ :

राज्य के आर्थिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिनांक 16 जून, 2013 को राज्य में आयी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 3.28 लाख बैंक ऋणियों को बैंकों द्वारा ऋण भुगतान में एक वर्ष की मोरेटोरियम अवधि का लाभ प्रदान किया गया है तथा 52 हजार ऋण खातों को पुनर्संरचित किया गया है इसके अतिरिक्त आपदा पीड़ितों के पुनर्वास हेतु अब तक ` 212 करोड़ के नये ऋण बैंकों के द्वारा प्रदान किये गये हैं। वित्तीय समावेशन के तहत राज्य के समस्त गाँवों में मार्च, 2015 तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाने के लिए बैंक दृढ़ संकल्पित हैं तथा साथ ही साथ प्रथम चरण में राज्य के तीन जिलों (टिहरी, चम्पावत एवं बागेश्वर) में सामाजिक सुरक्षा लाभों को लाभार्थी के खाते में सीधे ''डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजना'' (डी0बी0टी0) के तहत जमा करने हेतु अब तक 23583 (तेईस हजार पाँच सौ तिरासी) लाभार्थियों के खाते खोले जा चुके हैं व इन खातों को एन0पी0आर0 / आधार कार्ड नं0 से जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है। राज्य के समस्त जिलों में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं

के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण के लिए बैंकों द्वारा आर–सेटी संस्थान की स्थापना कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। राज्य में कृषकों को बैंकों के द्वारा आठ लाख उन्नचास हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिये गये हैं तथा सभी बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को किसान डेबिट कार्ड भी उपलब्ध कराना आरम्भ कर दिया है ताकि कृषक अपनी सुविधानुसार धनराशि को वैकल्पिक बैंकिंग चैनल से प्राप्त कर सकें। अब तक बैंकों द्वारा कृषकों को लगभग इक्सठ हजार किसान डेबिट कार्ड जारी कर दिये गये हैं तथा शेष किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को शीघ्र किसान डेबिट कार्ड जारी करने का कार्य प्रगति पर है। राज्य का सी0डी0 रेशो (ऋण–जमा अनुपात) 57 प्रतिशत है जिसमें और अधिक सुधार लाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठकों के माध्यम से लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। यहाँ यह अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में कार्यरत उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक की समस्त शाखाओं ने भी सी0बी0एस0 प्लेटफार्म पर कार्य करना आरम्भ कर दिया है। सभी बैंकों के साथ उच्चस्तर का समन्वय स्थापित कर हम सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं में वित्त पोषण को गति प्रदान करेंगे जिससे कि लाभार्थी के जीवन स्तर में वृद्धि के साथ–साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

केन्द्र पोषित योजनाओं से वित्तीय सहायता :

भारत सरकार से एक बड़ी राशि सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, आदि विभिन्न योजनाओं हेतु सीधे सम्बन्धित अभिकरणों को प्रदान की जाती है। केन्द्र पोषित योजनाओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप यह सम्भावित है कि इनमें से कई योजनाओं में केन्द्रीय सहायता अब राज्य के बजट के माध्मय से प्राप्त होगी तथा शेष योजनाएँ पूर्ववत ही क्रियान्वित की जायेंगी। इन परिकल्पनाओं के आधार पर तेहरवें वित्त आयोग, जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एन0एस0ए0पी0, ई–गवर्नेन्स, बी0आर0जी0एफ0, बी0ए0डी0पी0 आदि विभिन्न केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार से लगभग ` 10509.74 करोड़ (दस हजार पाँच सौ नौ करोड़ चौहत्तर लाख रुपये) का अनुदान वर्ष 2014–15 में प्राप्त होना अनुमानित है।

राजकोषीय सेवाएँ :

राज्य के विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, प्रदेश के विभिन्न भागों के मध्य भारी आर्थिक भिन्नताओं आदि विभिन्न कारणों से एक ओर जहाँ वर्तमान राजस्व प्राप्तियां अपेक्षाकृत कम हैं तो दूसरी ओर विभिन्न व्यय मांगों व आवश्यकताओं की अपेक्षाएं कहीं अधिक हैं। ऐसी दशा में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष अधिकतम लाभ प्राप्त करने एवं आउट सोर्सिंग व पी0पी0पी0

प्रारूप और निजी निवेश माध्यमों का उपयोग करने की आवश्यकता स्पष्ट इंगित होती है। सरकार द्वारा इस दिशा में आगे भी कार्य करने का प्रयास किया जायेगा। वर्तमान में अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य संतुलन बनाते हुए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के बाध्यकारी लक्ष्यों की पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास में यद्यपि सकल रूप से घाटे का बजट प्रस्तुत है लेकिन कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। राजकोषीय घाटा भी अनुमन्य सीमान्तर्गत ही है और राजकोषीय घाटे का प्रबन्धन प्रदेश के आर्थिक उन्नयन की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जायेगा।

वाणिज्य कर :

राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में वाणिज्य कर का महत्वपूर्ण योगदान है। ई–रजिस्ट्रेशन, ई–रिटर्न, ई–पेमेंट, ई–रिफन्ड, एस0एम0एस0 सर्विस एवं केन्द्रीय खरीद करने वाले व्यापारियों को 'फार्म सी' ऑन लाइन जनरेट करना तथा वाणिज्य कर चौकियों को समाप्त कर वाहनों को ऑन लाइन अपने प्रपत्र घोषित करने की सुविधा आदि द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली को कार्यकुशल, पारदर्शी व सहज बनाया जा रहा है। उद्यमियों की मांग पर रियायती दर से कच्चा माल खरीदने सम्बन्धी फार्म ''सी'' की मौद्रिक सीमा को समाप्त कर दिया गया है। होटल

व्यवसायियों की सुविधा के लिए सुख–साधन कर निर्धारण को छमाही के स्थान पर वार्षिक कर दिया गया है। **पकाये हुए भोजन पर कर की दर को 13.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।**

वित्तीय वर्ष 2014–15 में वैट अन्तर्गत ` 5459.01 करोड़ (पाँच हजार चार सौ उनसठ करोड़ एक लाख रुपये) की प्राप्ति अनुमानित है तथा व्यय पक्ष में ` 200.33 करोड़ (दो सौ करोड़ तैंतीस लाख रुपये) का प्रावधान है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन :

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन भी राज्य की राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रदेश के 46 उप निबन्धक कार्यालयों में से सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाले 18 उप निबंधक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल के कार्यालयों में ई–स्टाम्पिंग प्रणाली लागू की जा चुकी है।

वर्ष 2014–15 में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से ` 708.79 करोड़ (सात सौ आठ करोड़ उनासी लाख रुपये) का राजस्व अनुमानित है जबकि व्यय पक्ष में ` 31.25 करोड़ (इकतीस करोड़ पच्चीस लाख रुपये) का प्रावधान है।

आबकारी :

यद्यपि आबकारी से राज्य को काफी राजस्व प्राप्ति होती है, तथापि मद्य निषेध नीति को प्रमुखता देते हुए उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री सुनिश्चित की जाती है। प्रदेश में उत्पादित एल्कोहल का अधिकतर भाग औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश के उद्योगों द्वारा जनउपयोगी महत्वपूर्ण पदार्थों के उत्पादन के प्रयोग हेतु किया जाता है। सरकार द्वारा बाटलिंग नीति, राज्य में उत्पादित फलों से वाइन उत्पादन हेतु विन्टनरी नीति व माइक्रो पब ब्रुवरी नीति निर्गत की गयी है। वर्ष 2014–15 में आबकारी विभाग से ` 1345.40 करोड़ (एक हजार तीन सौ पैंतालीस करोड़ चालीस लाख रुपये) राजस्व प्राप्ति अनुमान सहित व्यय पक्ष में ` 14.48 करोड़ (चौदह करोड़ अड़तालीस लाख रुपये) का प्रावधान है।

परिवहन :

राज्य के सर्वांगीण विकास में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में सड़क परिवहन ही पर्वतीय क्षेत्र में एक मात्र तथा शेष क्षेत्र में यातायात का प्रमुख साधन है। कर ढाँचे में सरलीकरण हेतु उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2013 लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत मार्ग कर, अतिरिक्त कर (माल वाहन) एवं अतिरिक्त कर (यात्रा वाहन) आदि भिन्न–भिन्न करों की व्यवस्था को समाप्त करते हुए एकल कर ''मोटरयान कर'' आरोपित किये जाने की व्यवस्था है। अपराधों में वाहनों के अनाधिकृत प्रयोग की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा

बनायी गयी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट योजना उत्तराखण्ड में लागू है। विभागीय कार्यों में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार व एन0आइ0सी0 के संयुक्त तत्वाधान में तैयार किये गये सॉफ्टवेयर 'वाहन' तथा 'सारथी' के आधार पर विभाग के सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014—15 में परिवहन विभाग हेतु ` 55.96 करोड़ (पच्चपन करोड़ छियानवे लाख रुपये) का प्रावधान है।

नागरिक उड्डयन :

राज्य में विमानन तथा पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने के लिए विमानन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है तथा हवाई पट्टियों एवं हैलीपैडों के रख—रखाव के लिए स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड सिविल एविएशन अथोरिटी का गठन किया गया है। नैनीसैनी हवाई पट्टी, पिथौरागढ़ के विस्तारीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य प्रगति पर है। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी को भी क्रियाशील करने हेतु समुचित विकास कार्य किये गये हैं। देहरादून में हैलीकॉप्टर के पार्किंग की सुविधा युक्त हैलीपैड का उपयोग विशिष्ठ व्यक्तियों की हैली यात्राओं के साथ—साथ जनहित में निजी हैली कम्पनियों द्वारा चारधाम यात्रा एवं अन्य प्रयोजन हेतु जनसाधारण की यात्राओं के लिए किया जा रहा है। सभी जनपदों में हैलीपैड

निर्माण किये जा रहे हैं। आपदा 2013 के दौरान हैली सेवाओं की उपयोगिता स्पष्ट हो चुकी है।

नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2014—15 के लिए ` 21.86 करोड़ (इक्कीस करोड़ छियासी लाख रुपये) का प्रावधान है।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा :

राज्य में वर्तमान में लगभग 27000 मेगावाट की उपलब्ध प्रचुर जलविद्युत उत्पान क्षमता के सापेक्ष अब तक लगभग 3622 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ विकसित की जा चुकी हैं तथा 6620 मेगावाट की भारत नेपाल सीमा में प्रस्तावित पंचेश्वर बाँध परियोजना सहित लगभग 22300 मेगावाट की विभिन्न परियोजनाएँ आबंटित हैं जिनमें से लगभग 2422 मेगावाट की परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। दुर्भाग्यवश माह जून 2013 में आयी दैवीय आपदा से कतिपय जलविद्युत परियोजनाओं का संचालन लम्बे समय के लिए बाधित हुआ है तथापि संचालनरत शेष परियोजनाओं से लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित विद्युत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। मांग के सापेक्ष राज्य में विद्युत उत्पादन व उपलब्धता काफी कम होने के बावजूद पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पर्यावरणीय व अन्य कतिपय कारणों से जलविद्युत परियोजनाओं के विकास व निर्माण में बाधा होने एवं अनिश्चितता की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने से इस सबसे स्वच्छ विद्युत उत्पादन क्षमता के दोहन

में बिलम्ब होने के प्रभाव व परिणाम कालान्तर में हम सबके सामने स्पष्ट होंगे।

नई परियोजनाओं में 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा 120 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजना के विद्युत गृह के कार्यों को दिनांक 23–11–2013 को प्रारम्भ किया जा चुका है।

विद्युत सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कड़ी विद्युत वितरण है। वितरण में लाईन हानियों एवं सकल तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को मानक स्तर पर लाने के लिए विभागीय प्रयास व संकल्प सहित आम जनता व आप सभी का सहयोग निवेदित है। एक अनुमान अनुसार एक प्रतिशत हानि कम होने से लगभग 38 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। इस आधार पर 2012–13 के हानि स्तर को मानक 15 प्रतिशत हानि स्तर तक लाने से जो 7 प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा उससे लगभग 266 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा जो आम उपभोक्ताओं को अबाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने में सहायक हो सकेगा, एवं उपभोक्ताओं पर उस सीमा तक विद्युत दर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विद्युत हानियों को नियंत्रित करने के साथ–साथ उपभोक्ताओं को अबाध एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति तथा

उच्च सेवा व सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भी सरकार प्रयासरत है।

पिटकुल द्वारा 132 के0वी0 पिथौरागढ़ (पी0जी0सी0आई0एल0)–पिथौरागढ़ (पिटकुल) लाईन एवं 220 के0वी0 उपस्थान देहरादून का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा 132 के0वी0 डबल सर्किट श्रीनगर–सिमली लाईन का निर्माण, 220 उपस्थान ब्रह्मवारी/घनसाली/हर्रावाला आदि का निर्माण 2014–15 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में सौर ऊर्जा सहित अन्य वैकल्पिक व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन कर उसके उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के कारण तात्कालिक विद्युत व्यवस्था के लिए आपदा प्रभावित परिवारों को 24900 सोलर लालटेनों का निःशुल्क वितरण किया गया है।

वर्ष 2014–15 में ऊर्जा क्षेत्र हेतु ` 512.85 करोड़ (पाँच सौ बारह करोड़ पचासी लाख रुपये) का तथा वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र हेतु ` 6.65 करोड़ (छः करोड़ पैंसठ लाख रुपये) का प्रावधान किया गया है जबकि काफी मात्रा में सम्बन्धित निगमों/संस्था द्वारा अन्य स्रोतों से भी संसाधन जुटाये जायेंगे।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई :

कृषि हमारी आर्थिकी का प्रमुख अंग है और इस सेक्टर में विकास वृद्धि दर बनाए रखना आवश्यक है। राज्य में कृषि के अधीन भूमि उपलब्धता संकुचित होने से कृषि क्षेत्र में विकास वृद्धि दर बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य की परिस्थितियों के दृष्टिगत हमारी अधिकांश सिंचाई योजनाएँ लघु श्रेणी की हैं। साथ ही बाढ़ नियंत्रण कार्यों के माध्यम से कृषि भूमि को सुरक्षित रखने पर बल दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में सिंचाई, लघु सिंचाई एवं बाढ़ निर्माण कार्यों हेतु ` 1229.24 करोड़ (एक हजार दो सौ उन्तीस करोड़ चौबीस लाख रुपये) का प्रावधान है।

पेयजल :

जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। राजीव गांधी सर्वेक्षण 2003 के आधार पर विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 31435 बस्तियों को पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित तीन नगरों देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में पेयजल सुविधाओं में सुधार हेतु ` 146.31 करोड़ (एक सौ छियालीस करोड़ इकतीस लाख रुपये) तथा देहरादून, मसूरी, हरिद्वार एवं नैनीताल शहरों की जलोत्सारण व्यवस्था हेतु ` 233.28 करोड़ (दो सौ तैंतीस करोड़ अट्ठाईस लाख रुपये) के कार्य प्रगति पर हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 में विभिन्न पेयजल

योजनाओं के पुनर्गठन/सुदृढ़ीकरण एवं जलोत्सारण योजनाओं सहित आबादी क्षेत्रों को पेयजल से लाभान्वित करने के कार्य प्रस्तावित हैं। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति बस्तियों में पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार एवं हैंडपम्पों के अधिष्ठापन द्वारा जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। शहरी विकास विभाग के अधीन बाह्य सहायतित एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित की जाने वाली जलोत्सारण तथा पेयजल योजनाओं तथा आपदा पैकेज के अधीन किये जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त वर्ष 2014–15 में पेयजल, जलोत्सारण, गंगा कार्य योजना, प्रथम–चरण में निर्मित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव आदि कार्यों हेतु लगभग ` 567.67 करोड़ (पाँच सौ सड़सठ करोड़ सड़सठ लाख रुपये) का प्रावधान है।

सड़क एवं सेतु :

राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से सम्पर्क मार्गों द्वारा जोड़ने तथा प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों, तीर्थस्थानों एवं पर्यटन स्थलों में सड़क संयोजकता प्रदान करने हेतु मोटर मार्गों व सेतुओं के निर्माण कार्यों के साथ–साथ पूर्व निर्मित मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगी कि 2013 में राज्य में हुई भीषण वर्षा तथा जलप्रलय के फलस्वरूप प्रदेश का यातायात,

संचार व्यवस्था तथा पर्यटन पूर्णतः दुष्प्रभावित रहा। अवरूद्ध मोटर मार्गों के कारण प्रभावित 4200 गाँव भी सम्पर्क मार्ग से कट चुके थे जिन्हें वर्तमान में सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा चुका है।

बढ़ते यातायात घनत्व की समस्या से निपटने के लिए कार्ट मैकेन्जी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधार, ''शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट मार्ग'' (शिमला बाई पास मोटर मार्ग) का पुनर्निर्माण, बल्लीवाला चौक / बल्लूपुर चौक /आई0एस0बी0टी0 पर फ्लाई ओवर का निर्माण, भण्डारीबाग रेलवे अण्डर ब्रिज का निर्माण आदि योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसी प्रकार राज्य के तीन महत्वपूर्ण नगरों श्रीनगर (गढ़वाल), काशीपुर तथा रूद्रपुर में भी तीन महत्वपूर्ण मोटरमार्गों का पुनर्निर्माण व सुधार कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु एन0एच0ए0आई0 के माध्यम से पी0पी0पी0 मोड में नारसन से देहरादून (आई0आई0पी0) तक राष्ट्रीय राजमार्ग का चार लेन चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।

आपदा पैकेज के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त मार्गों एवं सेतुओं आदि के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में ` 1407.79 करोड़ (एक हजार चार सौ सात करोड़ उनासी लाख रुपये) का प्रावधान है।

औद्योगिक विकास :

राज्य के आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु राज्य सरकार औद्योगिक निवेश व औद्योगिक इकाईयों के सफल संचालन हेतु प्रयासरत है। आई0टी0 पार्क देहरादून में इन्क्यूवेशन सेन्टर स्थापित किया गया है एवं सिडकुल मुख्यालय सहित समस्त औद्योगिक संस्थानों में उद्यमियों की सुविधा हेतु सिडकुल के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये हैं। अप्रैल 2012 से अब तक सिडकुल द्वारा एकीकृत औद्योगिक संस्थानों में कुल 121 उद्यमियों को लगभग 73.425 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया है। जसपुर में टैक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है। सितारगंज में सिडकुल फेज–2 के विकास का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उत्तराखण्ड खनिज नीति 2011 के परिपालन में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु देहरादून में 5 उपखनिज क्षेत्रों तथा इसके 09 निकासी मार्गों में खनन सर्विलांस स्थापित किये जा रहे हैं। अवैध खनन रोकने के लिए विशेष पुलिस दस्ते की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2014–15 में औद्योगिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए लगभग ` 105.67 करोड़ (एक सौ पाँच करोड़ सड़सठ लाख रुपये) का प्रावधान है।

आवास एवं शहरी विकास :

वर्तमान में विभिन्न कारणों से शहरी क्षेत्रों की आबादी में तेजी से वृद्धि हो रही है। अतः आवश्यक है कि नियोजित विकास

पर पर्याप्त ध्यान दिया जाय। विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं यथा जे0एन0एन0यू0आर0एम0, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, कम लागत व्यक्तिगत शौचालय, राजीव आवास योजना आदि द्वारा मूलभूत सुविधाओं के विकास, स्लमवासियों को समुचित आश्रय, बेरोजगारों को रोजगार आदि क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं। गरीबों के लिए वहन योग्य आवास उपलब्ध कराने को सरकार प्रयासरत है।

वर्ष 2014–15 में शहरी विकास तथा आवास विभाग हेतु ` 789.88 करोड़ (सात सौ नवासी करोड़ अट्ठासी लाख रुपये) का प्रावधान है।

समाज कल्याण :

उत्तराखण्ड सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं निःशक्तजनों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की ओर सतत् प्रयत्नशील है। इस हेतु छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति, आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, गौरादेवी कन्याधन योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना आदि विभिन्न क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ, कोचिंग

योजना, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट योजना आदि संचालित की जा रही हैं।

जून, 2013 में आयी भीषण आपदा के फलस्वरूप विधवाओं/लापता व्यक्तियों की पत्नियों हेतु नन्दादेवी विशेष महिला सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जनपद की ऐसी प्रभावित महिलाओं के लिये है जिन्हें सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

समाज कल्याण सम्बन्धी विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2014–15 में ` 963.40 करोड़ (नौ सौ तिरसठ करोड़ चालीस लाख रुपये) का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत ` 1268.89 करोड़ (एक हजार दो सौ अड़सठ करोड़ नवासी लाख रुपये) व अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत ` 319.37 करोड़ (तीन सौ उन्नीस करोड़ सैंतीस लाख रुपये) का प्रावधान है।

सैनिक कल्याण :

उत्तराखण्ड एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। पूर्व सैनिकों के रूप में हमारे पास अपार प्रशिक्षित एवं अनुशासित जनशक्ति उपलब्ध है। जिसका उपयोग हम अपने प्रदेश के विकास के लिये कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों का कल्याण केन्द्र और राज्य सरकार का साझा उत्तरदायित्व है तद्नुसार राज्य सरकार

यथाआवश्यक व्यवस्था करने के साथ–साथ सैनिक कल्याण के लिए अतिरिक्त प्रयास एवं विशेष व्यवस्थाएँ कर रही हैं।

शासन द्वारा वीरता पदक विजेताओं के देय वार्षिकी को आजीवन कर दिया गया है जो पूर्व में तीस वर्षों तक के लिये अनुमन्य थी। इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य आज देश के सबसे अधिक अनुदान देने वाले राज्यों में सम्मिलित हो गया है। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन, शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/माता–पिता एवं अपंगता के कारण सेवामुक्त हुए सैनिकों को आवासीय सहायता आदि अनेक कल्याणकारी कार्य संचालित किये जा रहे हैं तथा सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है।

पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिये निदेशालय व सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में **टौल फ्री** टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है। सेवारत/सेवानिवृत्त सैनिक जो स्वयं के मकान में रह रहे हैं, को गृहकर में छूट का प्रावधान किया गया है।

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में ` 39.93 करोड़ (उन्तालीस करोड़ तिरानवे लाख रुपये) का प्रावधान प्रस्तावित है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :

राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिये विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य में पूरे देश के सापेक्ष आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं व मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त वर्ष में ` 1000 की प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था भी की गई है तथा टेक होम राशन योजना के क्रियान्वयन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत माता समिति के माध्यम से राशन की व्यवस्था की जा रही है। प्रति हजार पुरूषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या का अनुपात गिरना राज्य के लिए चिन्ता का कारण है। कतिपय जनपदों में इस अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट विशेष चिन्ता जनक है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की नन्दादेवी कन्याधन योजना का विशेष महत्व है। राज्य में इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, किशोरी शक्ति योजना सहित विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। राज्य के समस्त जनपदों में वनज पखवाड़ा चलाया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य के 13020 अतिकुपोषित बच्चों को चिन्हित कर जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ऐसे बच्चों के व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाते हुए चाइल्ड ट्रेनिंग प्रारम्भ की गयी है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों और दुर्व्यवहार रोकने के लिये निर्भया योजना प्रारम्भिक चरण में जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल में क्रियान्वित की गयी है। उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजनान्तर्गत प्रशिक्षण की आवश्यकता का

आंकलन (TNA) सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जा रहा है। देहरादून एवं हरिद्वार में कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल निर्माण की व्यवस्था भी की गयी है।

वर्ष 2014–15 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेतु लगभग ` 312.65 करोड़ (तीन सौ बारह करोड़ पैंसठ लाख रुपये) का प्रावधान है।

जलागम :

राज्य की विशिष्ट भौगोलिक एवं पर्यावरणीय प्रास्थिति के परिपेक्ष्य में जलागम प्रबन्ध आधारित प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वनस्पति आदि का संवर्धन एवं संरक्षण सुनिश्चित करते हुए आजीविका की व्यवस्था करना उपयोगी एवं महत्वपूर्ण उपाय है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) के द्वितीय चरण हेतु विश्व बैंक से लगभग 121 मिलियन अमेरिकी डालर के वित्त पोषण पर सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो गयी है तथा शीघ्र ही वित्त पोषण प्रारम्भ होना सम्भावित है। इस योजना से राज्य में 509 ग्राम पंचायतें आच्छादित होंगी। योजनान्तर्गत 1066 राजस्व ग्रामों के लगभग 55600 परिवार लाभान्वित होंगे। जलागम प्रबन्ध निदेशालय के द्वारा आई0एफ0ए0डी0 (इण्टरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेन्ट) वित्त पोषित समेकित आजीविका सहयोग परियोजना फेज–2 भी संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में जलागम प्रबन्धन योजनाओं हेतु ` 113.98 करोड़ (एक सौ तेरह करोड़ अट्ठानवे लाख रुपये) का प्रावधान है।

वन एवं पर्यावरण :

उत्तराखण्ड के शीर्ष पर स्थित हिमालय पर्वतमाला उत्तर भारत का जल स्तम्भ है जिस पर देश की लगभग पचास करोड़ जनसंख्या की आर्थिकी एवं जीवनयापन निर्भर है। देश ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय के हित में यहाँ के वनों एवं जैव विविधता को संरक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है, साथ ही प्रदेश की विकास आवश्यकताओं को भी सम्यक् रूप से पूर्ति करने की चुनौती हम सबके समक्ष है। वर्ष 2013–14 के वृक्षारोपण के कुल लक्ष्य 19920 हैक्टेयर के सापेक्ष माह नवम्बर 2013 तक 20328 हैक्टेयर में वृक्षारोपण सम्पन्न किया जा चुका है। जापान सरकार द्वारा पोषित जायका परियोजना का प्रोजेक्ट, भारत सरकार द्वारा पोषित ग्रीनिंग इण्डिया मिशन योजना के अन्तर्गत ब्रिज प्लान बनाकर भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

कैम्पा के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों के लिये उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त वर्ष 2014–15 में वन एवं पर्यावरण कार्यों हेतु लगभग ` 526.29 करोड़ (पाँच सौ छब्बीस करोड़ उन्तीस लाख रुपये) का प्रावधान है।

कृषि :

प्रदेश की भौगोलिक संरचना के दृष्टिगत कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। राज्य गठन के समय प्रदेश में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 16 लाख 47 हजार मैट्रिक टन था जो वर्ष 2012–13 में बढ़कर 18 लाख 28 हजार मैट्रिक टन के स्तर पर पहुँच गया है। वर्ष 2014–15 के लिए 19.20 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश की मुख्य फसलों गेहूँ व चावल की उत्पादकता में वृद्धि की सम्भावनाओं के दृष्टिगत ''नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन'' के कार्यक्रमों को लागू किया गया है। मक्का, मडुवा एवं गेहूँ की पोषक तत्वों से भरपूर किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार सुनिश्चित करने एवं कुपोषण की समस्या को कम करने के उद्‌देश्य से जनपद हरिद्वार एवं टिहरी में पायलेट स्कीम ऑन न्यूट्रीफार्म योजना संचालित है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने तथा जैविक उत्पादों का विपणन सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत योजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ही चिन्हित गाँवों व विकास खण्डों को जैविक कृषि से पूर्णतः संतृप्तीकरण करने हेतु योजना अनुमोदित हुई है। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण मिशन योजना लागू की गयी है।

वर्ष 2014–15 हेतु कृषि विभाग के अन्तर्गत ` 394.26 करोड़ (तीन सौ चौरानवे करोड़ छब्बीस लाख रुपये) का प्रावधान है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग :

राज्य में क्रमशः ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार व देहरादून जनपदों में गन्ने की खेती की जाती है। ऊधमसिंह नगर में 5, हरिद्वार जनपद में 03 व देहरादून जनपद में 01 चीनी मिल अवस्थित है। देश में वर्तमान चीनी स्टॉक की उपलब्धता तथा चीनी के बाजार मूल्य के साथ–साथ राज्य में गन्ना से चीनी रिकवरी की मात्रा के परिप्रेक्ष्य में चीनी मिलों के समक्ष यह वर्ष चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है। केन्द्र सरकार द्वारा किसान हित में गन्ना मूल्य भुगतान हेतु स्वीकृत की गयी ऋण योजना का लाभ प्राप्त करते हुए एवं केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये/ उठाये जा रहे कदमों से यह आशा है कि चीनी मिलें किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय से कर सकेंगी।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग अन्तर्गत कुल ` 24.15 करोड़ (चौबीस करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) का प्रावधान है।

औद्यानिकी :

उत्तराखण्ड का भौगोलिक क्षेत्रफल 6315.50 हजार हैक्टेयर है जिसमें लगभग 781.29 हजार हैक्टेयर भू–भाग कृषि के अन्तर्गत है। फलभूमि एवं सब्जियों के अन्तर्गत कुल 302.70 हजार हैक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। औद्यानिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिये सरकार द्वारा कृषकों को फल पौध रोपण सामग्री, सब्जी

पौध / बीज, आलू बीज, पौध सुरक्षा, रसायन, औद्यानिक संयंत्र, मसाला बीज आदि निवेशों पर राज सहायता उपलब्ध करायी जाती है। उत्तराखण्ड में चाय विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए चाय उत्पादन के समुचित विकास व निवेश आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा चाय का कृषिकरण, प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण तथा नर्सरी उत्पादन व प्रचार प्रसार के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में औद्यानिक विभाग हेतु ` 130.21 करोड़ (एक सौ तीस करोड़ इक्कीस लाख रुपये) का प्रावधान है।

पशुपालन डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन :

प्रदेश की कुल 51 लाख पशु सम्पदा व 26 लाख कुक्कुट सम्पदा को रोग मुक्ति तथा रोग नियंत्रण हेतु आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, नस्ल सुधार की सुविधा उपलब्ध कराने, कार्यक्रमों का प्रसार एवं विस्तार करने, ग्रामीण क्षेत्रों के लघु सीमान्त, भूमिहीन एवं निर्बल वर्ग के लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने हेतु पशुपालन सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है।

पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन जहाँ एक ओर आजीविका की दृष्टि से उपयोगी है वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को उचित दर पर उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए इनका महत्व

है। प्रदेश में 3782 दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा प्रतिदिन 1.43 लाख लीटर दुग्ध संग्रह किया जा रहा है जिसके सापेक्ष लगभग ` 8 करोड़ प्रतिमाह का भुगतान दुग्ध उत्पादकों को किया जा रहा है। जनपद ऊधमसिंह नगर में स्थापित पशु आहार निर्माणशाला के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को रियायती दरों पर पशु आहार, कॉम्पैक्ट फीड व मिनरल मिक्सचर उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्ष 2014–15 में पशुपालन, डेरी विकास तथा मत्स्य पालन हेतु ` 162.04 करोड़ (एक सौ बासठ करोड़ चार लाख रुपये) का प्रावधान है।

सहकारिता :

सहकारिता का दृष्टिकोण राज्य के विभिन्न अंचलों के निर्बल वर्गों को समृद्धशाली बनाते हुए उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। राज्य में 10 जिला सहकारी बैंक, 758 पैक्स एवं 4 शीर्ष सहकारी संस्थाएँ कार्यरत हैं। सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना, सहकारी क्रय विक्रय योजना व सहकारी उपभोक्ता योजना, सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार योजना, उर्वरक परिवहन पर राज सहायता, पैक्स मिनी बैंक में जमा निक्षेप के लिये निक्षेप गारन्टी योजना, राज्य

सहकारी परिषद् हेतु वित्तीय सहायता, फॉस्फोटिक उर्वरक क्रय हेतु यू0सी0एफ0 को वित्तीय सहायता आदि कार्य संचालित किए जा रहे हैं। सहकारिता विभाग हेतु वित्तीय वर्ष हेतु 2014–15 में ` 50.08 करोड़ का प्रावधान है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष :

अपर्याप्त चिकित्सकीय स्टॉफ सहित विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा कम जनसंख्या घनत्व वाली बिखरी आबादी होने के दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी सेवाएँ व सुविधाएँ प्रदान करना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। इन परिस्थितियों में सरकार राज्य की जनता के समग्र स्वास्थ्य रक्षा के साथ–साथ शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्युदर कम करने तथा प्राकृतिक दैवीय आपदा से निपटने हेतु स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में राज्य के असेवित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अति आधुनिक उपकरणों से युक्त सचल चिकित्सा वाहनों का संचालन पी0पी0पी0 मोड में किया जा रहा है। बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में नैफ्रोलॉजी यूनिट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून में कार्डियोलॉजी यूनिट, दून चिकित्सालय, देहरादून में एम0आर0आइ0 मशीन आदि कई सेवाएँ सफलतापूर्वक पी0पी0पी0 मोड में संचालित की जा रही हैं तथा 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी पी0पी0पी0 मोड में संचालित करने की व्यवस्था की गयी है। उक्त के अतिरिक्त राज्य में एच0आइ0वी0 मुक्त रक्त की

उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 27 लाइसेन्स प्राप्त रक्त लैब क्रियाशील हैं। दून अस्पताल तथा बेस अस्पताल हल्द्वानी में न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, प्लास्टिक सर्जन, यूरोलाजिस्ट तथा कार्डियोलाजिस्ट के पाँच–पाँच सुपर स्पेशलिस्ट पद स्वीकृत किये जाने प्रस्तावित हैं। उत्तरकाशी में जिला महिला चिकित्सालय तथा ऋषिकेश में रक्त कोष हेतु पदों का सृजन प्रस्तावित है। दून अस्पताल में न्यूरो सर्जरी के आवश्यक उपकरण क्रय करने हेतु अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की गयी है।

वैकल्पिक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी पद्धति की सेवाएँ जनता को प्रदान की जा रही हैं।

वर्ष 2014–15 में चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा आयुष में ` 1014.74 करोड़ (एक हजार चौदह करोड़ चौहत्तर लाख रुपये) का प्रावधान है।

चिकित्सा शिक्षा :

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों सहित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर स्थापित हैं। अल्मोड़ा एवं देहरादून के मेडिकल कालेज को शीघ्र प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़ एवं चमोली में नर्सिंग कालेज की स्थापना प्रस्तावित है। इसी प्रकार राज्य में

भारत सरकार की सहायता से 07 जी0एन0एम0 स्कूल एवं 06 ए0एन0एम0 स्कूल की स्थापना प्रस्तावित है।

राज्य में चिकित्सा शिक्षा को गति प्रदान करने एवं विनियमित व पर्यवेक्षण करने हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

वर्ष 2014–15 में चिकित्सा शिक्षा हेतु ` 408.18 करोड़ (चार सौ आठ करोड़ सोलह लाख रुपये) का प्रावधान है।

विद्यालयी शिक्षा :

राज्य के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं में शाला त्याग की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किये जाने तथा माध्यमिक स्तर तक अध्ययन पूर्ण करने हेतु बालिका प्रोत्साहन (साईकिल योजना) लागू की गयी है। आगामी वर्ष में योजना से लाभान्वित बालिकाओं की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप ` 22.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

माध्यमिक स्तर पर विद्यालयी शिक्षा को रोजगारपरक बनाये जाने हेतु पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर 11 राजकीय विद्यालयों में आई0टी0 तथा ऑटो मोबाइल टैक्नोलॉजी के व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

पाँच राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों को पी0पी0पी0 मोड में संचालित किये जाने हेतु व्यवहारिक अन्तर्वित्तपोषण (बायविलिटी गैप फन्डिंग) के लिये नियोजन विभाग के अधीन की गयी बजट व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राविधानित है।

राज्य में केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक–शिक्षा का पुनर्गठन योजना को लागू कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का यू0जी0सी0 पैटर्न पर गठन किया गया है व राज्य में स्थित तीन जिला संसाधन केन्द्रों को उच्चीकृत किया गया है।

वर्ष 2014–15 में विद्यालयी शिक्षा हेतु ` 4551.94 करोड़ (चार हजार पाँच सौ इक्यावन करोड़ चौरानवे लाख) का प्रावधान है।

उच्च शिक्षा :

उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदेश के दुर्गम व दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नये महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं। इन महाविद्यालयों में भवन निर्माण सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को राज्य में अपनाने की स्वीकृति दे दी गई है और यह आशा है कि इस क्रम में राज्य में उच्च शिक्षा को उत्प्रेरण तथा सम्बल प्राप्त होगा।

उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 2014—15 में ` 313.97 करोड़ (तीन सौ तेरह करोड़ सत्तानवे लाख रुपये) का प्रावधान है।

तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण :

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का रोजगार के बेहतर अवसरों का सृजन एवं कौशल विकास के विशेष महत्व को देखते हुए सरकार राज्य के पॉलिटेक्निक व आई0टी0आई0 संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयासरत है। इस दिशा में वर्ष 2013—14 में राज्य के 12 स्थानों में नये पॉलिटेक्निक खोले गये। नव सृजित व पूर्व से सृजित पॉलिटेक्निकों हेतु पदों का सृजन प्रस्तावित है। राज्य के 14 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में ई—लर्निंग केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

विगत एक वर्ष में 16 नये आई0टी0आई0 स्वीकृत किये गये हैं। नव सृजित आई0टी0आई0 बड़ावे (पिथौरागढ़) सहित इन संस्थानों में विभिन्न श्रेणी के पदों का सृजन प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2014—15 में तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभाग हेतु ` 196.43 करोड़ (एक सौ छियानवे करोड़ तैंतालीस लाख रुपये) का प्रावधान है।

कला एवं संस्कृति :

उत्तराखण्ड की अमूल्य ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण–संवर्द्धन एवं विकास हेतु सरकार प्रयासरत है। स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के गाँव बुधाणी, जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित पैतृक आवास को हेरिटेज भवन के रूप में संरक्षित कर इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस हेतु आवश्यक पदों का सृजन प्रस्तावित है। 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत देहरादून में राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं सभागार का निर्माण कर इसे हिमालय सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने का कार्य प्रगति पर है। महान विभूतियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों की स्मृति अक्षुण्य बनाये रखने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश के लोक संगीत की विभिन्न विधाओं, विलुप्तप्राय लोकवाद्यों के सरंक्षण–संवर्द्धन हेतु गुरू–शिष्य परम्परा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के मूर्धन्य/लोक कलाकारों, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोककला के संवाहक हैं, की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। ऐसे लेखक व कवि जिनकी कृतियाँ धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाती हैं उनकी महत्वपूर्ण कृतियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

वर्ष 2014–15 में संस्कृति विभाग के अन्तर्गत ` 39.37 करोड़ (उन्तालीस करोड़ सैंतीस लाख रुपये) का प्रावधान है।

संस्कृत शिक्षा :

संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन व समृद्ध भाषाओं में से एक है। देवभूमि उत्तराखण्ड में संस्कृत विभाग के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी संचालित है। वर्तमान में 06 राजकीय संस्कृत विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए राज्य में कुल 90 संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय संचालित हैं।

खेल एवं युवा कल्याण :

खेलों के उन्नयन एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु उच्च स्तरीय खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने को राज्य सरकार प्रयासरत है। देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज परिसर, रायपुर, देहरादून में राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं खेल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है और एथेलिटिक्स ग्राउण्ड में सिंथेटिक ट्रैक एवं बहुद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण प्रगति पर है। हल्द्वानी में इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के खिलाड़ियों द्वारा उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने के फलस्वरूप देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न पुरस्कार एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किये जा रहे हैं।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में ` 136.72 करोड़ (एक सौ छत्तीस करोड़ बहत्तर लाख रुपये) का प्रावधान है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क :

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने की भूमिका निभाता है। राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी नीतियों/योजनाओं का व्यापक प्रसार–प्रचार करने के उद्देश्य से सूचना विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रचार साहित्य के साथ–साथ ''देवभूमि सन्देश'' मासिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है।

विकास कार्यों के सफल संचालन, सरकार की नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुँचाने हेतु मीडिया से पर्याप्त संवाद एवं समन्वय स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता तथा राजकीय चिकित्सालयों में सरकारी कर्मचारियों की भाँति चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हेतु वर्ष 2014–15 में ` 38.50 करोड़ (अड़तीस करोड़ पचास लाख रुपये) का प्रावधान है।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

प्रदेश में अपराधों के रोकथाम एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बलों की क्षमता वृद्धि एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के ''पुलिस बल आधुनिकीकरण'' योजना अन्तर्गत उपकरण–शस्त्र क्रय, वाहन क्रय, कर्मचारियों की आवासीय सुविधा, सीमावर्ती जनपदों व अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर थानों व चौकियों की स्थापना की जा रही है। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्टेट डिजास्टर रिसपोन्स फोर्स (एस0डी0आर0एफ0) की 6 वाहिनियाँ स्थापित की जा रही हैं।

देहरादून में नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड के संयुक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

वर्ष 2014–15 में पुलिस विभाग हेतु ` 1153.87 करोड़ (एक हजार एक सौ तिरपन करोड़ सत्तासी लाख रुपये) तथा होमगार्ड हेतु ` 42.85 करोड़ (बयालीस करोड़ पचासी लाख रुपये) का प्रावधान है।

राजस्व :

राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन, अनुसूचित जाति/जनजाति, विस्थापित व समाज के कमजोर वर्गों के परिवारों को वर्ग–4 की भूमियों के विनियमितिकरण की दूरगामी पहल की गयी है। राज्य में बिखरी हुई जोतों को एकत्र कर कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार की कार्यवाही गतिमान है। भू–अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण व

डिजिटाइजेशन के लिए तथा भूमि–अभिलेख कार्यक्रम के सुव्यवस्थित संचालन हेतु परियोजना प्रबन्धन इकाई का गठन किया गया है। छोटी प्रशासनिक इकाईयों की मांग के दृष्टिगत राज्य में विगत समय नई तहसीलें सृजित की गयी हैं।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में ` 298.50 करोड़ (दो सौ अट्ठानवे करोड़ पचास लाख रुपये) का प्रावधान है।

आपदा प्रबन्धन :

जून, 2013 में राज्य में आयी अप्रत्याशित दैवीय आपदा के उपरान्त सभी प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को पर्याप्त एवं त्वरित राहत देने का प्रयास किया गया। इस क्रम में विभिन्न मदों में राहत राशि में वृद्धि करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से कहीं अधिक राहत सहित कई नयी मदों में राहत राशि की व्यवस्था की गयी। भवन को मानक मानने के बजाय भवन में रहने वाले परिवारों को राहत राशि के लिये इकाई माना गया एवं क्षतिग्रस्त भवन में रह रहे प्रत्येक परिवार को राहत राशि अनुमन्य की गयी। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों के भवन आंशिक या पूर्ण रूप से सरकारी भूमि पर भी अनाधिकृत रूप से बने थे, उन्हें भी ` 01 लाख की सहायता राशि प्रदान की गयी है। इसी प्रकार प्रभावित परिवारों को पालतू पशुओं, कृषि भूमि एवं व्यवसायों के लिए भी बढ़ी हुई राहत राशि की व्यवस्था की गयी। राज्य में पर्यटन एक प्रमुख व्यवसाय होने के कारण होटल, ढाबा, दुकान

एवं घराट जैसे छोटे व्यवसायों के लिए प्रथमबार सरकार द्वारा राहत राशि प्रदान की गयी। ऋणों की वसूली स्थगित की गयी तथा विद्युत एवं जल मूल्य को माफ किया गया। प्रत्येक बेघर परिवार को किराये के भवनों में रहने हेतु 3 हजार प्रतिमाह किराया प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। आपदा प्रभावित परिवारों के आवासों के पुनर्निर्माण के लिए पारदर्शी आवास नीति जारी की गयी है।

भविष्य में सम्भावित आपदाओं में क्षतियों को न्यून किये जाने की दृष्टि से राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिवादन बल की एक बटालियन हरिद्वार में स्थापित करने की कार्यवाही कर दी गयी है तथा राज्य आपदा प्रतिवादन बल का गठन किया गया है। नदी श्रेणी की भूमि पर निर्माण कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है तथा एक्टिव फ्लड जोन (Active flood zone) के चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2014—15 में आपदा प्रबन्धन पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना पैकेज अन्तर्गत एस0पी0ए0 तथा नई वाह्य सहायतित योजनाओं सहित आपदा प्रबन्धन के लिये ` 1693.48 करोड़ (एक हजार छः सौ तिरानवे करोड़ अड़तालीस लाख रुपये) का प्रावधान है।

पंचायती राज :

भारतीय संविधान के प्रावधानानुसार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय स्व–शासन को सुदृढ़ व सबल करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस सम्बन्ध में विभिन्न योजनाओं सहित केन्द्र पोषित बी0आर0जी0एफ0 योजना एवं राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का संचालन किया जा रहा है।

वर्ष 2014–15 में पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत लगभग ` 82.48 करोड़ (बयासी करोड़ अड़तालीस लाख रुपये) का प्रावधान है।

ग्राम्य विकास :

ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन की योजनाएँ यथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना तथा ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित इन्दिरा आवास योजना एवं ग्रामीण संयोजिता हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि का क्रियान्वयन राज्य में सफलता पूर्वक किया जा रहा है।

सीमान्त क्षेत्र के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत पाँच सीमान्त जनपदों में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित हैं।

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2014—15 में ` 993.05 करोड़ (नौ सौ तिरानवे करोड़ पाँच लाख रुपये) का प्रावधान है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग विकास योजनाओं के निरूपण, क्रियान्वयन अनुरक्षण करने तथा नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं व सुविधाओं का पर्यवेक्षण करने के साथ—साथ नागरिकों में वैज्ञानिक समझ व रूचि बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् तथा उत्तराखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर अर्थात उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के माध्यम से विभिन्न कार्यकलाप संचालित किये जा रहे हैं।

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र द्वारा 16—17 जून, 2013 को आयी आपदा के उपरान्त रेपिड डेमेज सर्वे के अध्ययन में विश्व बैंक को भी सहयोग प्रदान किया गया ।

सूचना प्रौद्योगिकी :

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक को विभिन्न सेवाएँ सरलतापूर्वक उपलब्ध कराने, विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का सफल उपयोग सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को उनकी आवश्यकता अनुसार सूचना सुलभ कराने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रयासरत है। इस सम्बन्ध में मिशन मोड परियोजनाओं के अन्तर्गत विभागों का कम्प्यूटरीकरण, क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क की स्थापना, नेशनल ई–गवर्नेन्स कार्यक्रम, ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना, आदि संचालित की जा रही हैं। ई–टेण्डरिंग का और सुदृढ़ीकरण व विस्तार किया गया है।

पर्यटन :

राज्य की आर्थिकी एवं रोजगार सृजन में पर्यटन का विशेष महत्व है। राज्य में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत सरकार उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय स्तर के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयत्नशील है। दुर्भाग्य से वर्ष, 2013 की अप्रत्याशित आपदा से हमारे इस प्रयास को झटका पहुॅचा है परन्तु हम पुनः खड़ा होने के लिए कमर कस चुके हैं और इस हेतु आपदा पुनर्स्थापना/पुनर्निर्माण अन्तर्गत स्वीकृत विशेष आपदा पैकेज अन्तर्गत राज्य को लगभग ` 662 करोड़ का वित्त पोषण 2013–14 से 2015–16

की तीन वर्ष की अवधि में प्राप्त होगा। यह व्यवस्था पर्यटन क्षेत्र हेतु प्रस्तावित सामान्य बजट के अतिरिक्त होगी। टिहरी झील को साहसिक पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकसित करने के लिये राजीव गांधी एडवेंचर अकादमी का शिलान्यास किया गया है। विभिन्न पर्यटन स्थलों के सुनियोजित एवं त्वरित विकास हेतु विभिन्न विधाओं तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि के उद्देश्य से टूरिज्म एरिया विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु अनुदान राशि को 25 प्रतिशत अधिकतम ` 10 लाख से बढ़ाकर 33 प्रतिशत अधिकतम ` 15 लाख किया गया है। अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक कुल 251 बेरोजगारों को वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना द्वारा लाभाविन्त किया गया है। वर्ष 2014–15 में 500 उद्यमियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

पर्यटकों/यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत जानकी चट्टी–यमुनोत्री तथा ठुलीगाड़–पूर्णागिरी रोपवे परियोजनाएँ पी0पी0पी0 मोड पर क्रियान्वित करवायी जा रही हैं। ''हुनर से रोजगार'' योजना के अन्तर्गत रोजगार प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है।

पयर्टन गतिविधियों हेतु वर्ष 2014–15 में ` 165.26 करोड़ (एक सौ पैंसठ करोड़ छब्बीस लाख रुपये) का प्रावधान है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

भारत सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का शुभारम्भ उत्तराखण्ड राज्य में किया जा चुका है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य में प्रचलित बी0पी0एल0 परिवारों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न पूर्व की भाँति उपलब्ध कराया जायेगा। उपभोक्ताओं की खाद्यान्न सम्बन्धी शिकायतों के निवारण हेतु राज्य में ''खाद्य सुरक्षा आयोग'' का गठन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी निराकरण हेतु उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता आयोग कार्यरत हैं तथा कन्ज्यूमर हेल्पलाइन की स्थापना की जा रही है।

राज्य में जून, 2013 में आयी भीषण आपदा के परिणामस्वरूप आपदा प्रभावित जिलों में यथाशीघ्र खाद्यान्न की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी एवं आपदा से प्रभावित कट ऑफ ग्रामों में निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था भी विभाग द्वारा सुनिश्चित करायी गयी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये इसका कम्प्यूटरीकरण किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेतु वर्ष 2014–15 में लगभग ` 233.12 करोड़ (दो सौ तैंतीस करोड़ बारह लाख रुपये) का प्रावधान है।

श्रम, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन :

प्रदेश में कुल 3287 कारखाने स्थापित हैं, जिनमें लगभग चार लाख श्रमिक कार्यरत हैं। श्रमिकों के हितों का संरक्षण, सेवायोजकों तथा श्रमिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण, बाल श्रम उन्मूलन आदि हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है। बाल श्रमिक उन्मूलन योजना अन्तर्गत बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण का कार्य निरन्तर जारी रखा गया है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दरों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। श्रमिकों के हित को सुनिश्चित करने हेतु श्रम कल्याण निधि का गठन किया गया है जिसका प्रयोग श्रमिकों के कल्याणार्थ किया जायेगा।

राष्ट्रीय बाल श्रमनीति के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपद देहरादून को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन0सी0एल0पी0) के अन्तर्गत लिया गया है। प्रदेश में महिला कार्यकारों को शोषण से बचाने हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है।

राज्य सेवायोजन कार्यालयों को ऑनलाइन किये जाने का कार्य गतिमान है। बेरोजगार युवाओं को सेवायोजन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 24 सेवायोजन कार्यालय/कैरियर काउसिलिंग केन्द्र स्थापित हैं।

औद्योगिक विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना एवं श्रम चिकित्सा सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तारीकरण करते हुए 11 नये स्थानों क्रमशः डोईवाला, लालतप्पड़ एवं आई0टी0पार्क–देहरादून, लक्सर, आई0पी0फार–हरिद्वार, खटीमा, कोटद्वार, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज एवं हल्द्वानी में औषधालयों की स्थापना की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत ` 193.53 करोड़ (एक सौ तिरानवे करोड़ तिरपन लाख रुपये) का प्रावधान है।

नियोजन :

क्षेत्रीय एवं कार्य स्तर पर संतुलित विकास के साथ समग्र विकास हेतु राज्य सरकार नियोजन विभाग के माध्यम से योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण, अनुश्रवण, मूल्यांकन, सत्यापन तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रयासरत है। राज्य की वार्षिक योजना वर्ष 2013–14 की गहन समीक्षा एवं सतत् अनुश्रवण के परिणाम स्वरूप दिसम्बर, 2013 तक जारी ` 5166 करोड़ (पाँच हजार एक सौ छियासठ करोड़ रुपये) वित्तीय

स्वीकृतियों के सापेक्ष ` 3368 करोड़ (तीन हजार तीन सौ अड़सठ करोड़ रुपये) का व्यय हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में हुई प्रगति से बेहतर है। प्राकृतिक आपदा से हुई व्यापक क्षति से उबरने हेतु पुनर्वास एवं पुनःनिर्माण योजना की संरचना, अनुमोदन एवं अनुश्रवण हेतु नियोजन विभाग का योगदान महत्वपूर्ण है।

नियोजन विभाग के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा विभिन्न विषयों के उद्देश्यों का सर्वेक्षण एवं अध्ययनों के माध्यम से राज्य की प्रभावी नियोजन प्रणाली हेतु प्राइमरी तथा सेकेण्डरी आंकड़ों का संग्रह व संकलन कर विश्लेषण किया जा रहा है। राज्य में प्रस्तावित विकास कार्यों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापरक बनाये जाने तथा पूर्व प्रचलित निविदा प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने के दृष्टिगत ` 01 करोड़ से अधिक की लागत के कार्यों की निविदायें ई–टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त की जा रही हैं।

मान्यवर,

अब, मैं, वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक अनुमानों के प्रमुख आकड़ों का उल्लेख करना चाहूँगी।

वर्ष 2014–15 में कुल प्राप्तियाँ ` 29825.16 करोड़ (उन्तीस हजार आठ सौ पच्चीस करोड़ सोलह लाख रुपये) अनुमानित हैं जिसमें ` 24474.46 करोड़ (चौबीस हजार चार सौ चौहत्तर करोड़ छियालीस लाख रुपये) राजस्व प्राप्तियाँ तथा ` 5350.70 करोड़ (पाँच हजार तीन सौ पचास करोड़ सत्तर लाख रुपये) पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष, 2014—15 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व ` 12157.26 करोड़ **(बारह हजार एक सौ सत्तावन करोड़ छब्बीस लाख)** है जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ` 4134.00 करोड़ (चार हजार एक सौ चौंतीस करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति ` 9830.72 करोड़ **(नौ हजार आठ सौ तीस करोड़ बहत्तर लाख रुपये)** में कर राजस्व ` 8023.26 करोड़ **(आठ हजार तेईस करोड़ छब्बीस लाख रुपये)** तथा करेत्तर राजस्व ` 1807.46 करोड़ **(एक हजार आठ सौ सात करोड़ छियालीस लाख रुपये)** अनुमानित है।

व्यय :

वर्ष 2014—15 में ऋणों के प्रतिदान पर ` 1757.79 करोड़ **(एक हजार सात सौ सत्तावन करोड़ उनासी लाख रुपये)** ब्याज की अदायगी के रूप में ` 2947.93 करोड़ **(दो हजार नौ सौ सैंतालीस करोड़ तिरानवे लाख रुपये),** राज्य कर्मचारियों के वेतन—भत्तों आदि पर लगभग ` 8538.11 करोड़ **(आठ हजार पाँच सौ अड़तीस करोड़ ग्यारह लाख रुपये),** सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग ` 655.84 करोड़ **(छः सौ पचपन करोड़ चौरासी लाख रुपये),** पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में ` 2424.48 करोड़ **(दो हजार चार सौ चौबीस करोड़ अड़तालीस लाख रुपये)** का व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2014—15 में कुल व्यय ` 30353.78 करोड़ (**तीस हजार तीन सौ तिरपन करोड़ अड़हत्तर लाख रुपये)** अनुमानित है। कुल व्यय में ` 23792.03 करोड़ **(तेईस हजार सात सौ बयानवे करोड़ तीन लाख रुपये)** राजस्व लेखे का व्यय है तथा ` 6561.75 करोड़ **(छः हजार पाँच सौ इकसठ करोड़ पचहत्तर लाख रुपये)** पूँजी लेखे का व्यय है। कुल व्यय में ` 11677.23 करोड़ (**ग्यारह हजार छः सौ सतहत्तर करोड़ तेईस लाख रुपये)** आयोजनागत एवं ` 18676.55 करोड़ **(अट्ठारह हजार छः सौ छिहत्तर करोड़ पचपन लाख रुपये)** आयोजनेत्तर पक्ष में प्रस्तावित है। कुल राजस्व व्यय में ` 6877.47 करोड़ **(छः हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख रुपये)** आयोजनागत पक्ष एवं ` 16914.56 करोड़ **(सोलह हजार नौ सौ चौदह करोड़ छप्पन लाख रुपये)**

आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है जबकि कुल पूँजीगत व्यय में ` 4799.76 करोड़ (चार हजार सात सौ निन्नानवे करोड़ छिहत्तर लाख रुपये) आयोजनागत पक्ष में एवं ` 1761.99 करोड़ (एक हजार सात सौ इकसठ करोड़ निन्नानवे लाख रुपये) आयोजनेत्तर पक्ष में होना अनुमानित है।

समेकित निधि में घाटा :

समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ ` 29825.16 करोड़ (उन्तीस हजार आठ सौ पच्चीस करोड़ सोलह लाख रुपये) में कुल व्यय ` 30353.78 करोड़ (तीस हजार तीन सौ तिरपन करोड़ अड़हत्तर लाख रुपये) घटाने के पश्चात् वर्ष 2014–15 में ` 528.62 करोड़ (पाँच सौ अट्ठाईस करोड़ बासठ लाख रुपये) का घाटा अनुमानित है।

राजकोषीय समेकन सूचक :

वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है, बल्कि ` 682.43 करोड़ (छः सौ बयासी करोड़ तैंतालीस लाख रुपये) का राजस्व अधिशेष (सरप्लस) सम्भावित है जबकि ` 4075.83 करोड़ (चार हजार पचहत्तर करोड़ तिरासी लाख रुपये) का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। उक्तानुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष 2014–15 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए ` 400 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अन्तिम शेष :

वर्ष 2014–15 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष ` 35.09 करोड़ (पैंतीस करोड़ नौ लाख रुपये) तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात् अन्तिम शेष ` 23.53 करोड़ (तेईस करोड़ तिरपन लाख रुपये) ऋणात्मक रहना अनुमानित है।

मान्यवर,

अन्त में, मैं, मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रिमण्डल के अपने सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करती हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है उसके लिए, मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। मैं, महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं, राजकीय मुद्रणालय तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके परिश्रम एवं सहयोग से समय से बजट तैयार करना व बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।

इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्कर–पादयोः।

अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां में सदाशिवाः।।

इन्ही शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2014–15 का बजट प्रस्तुत करती हूँ।

माघ 17, शक संवत् 1935
तद्नुसार
06 फरवरी, 2014